This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 25 अगस्त, 2012/3 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
(शिक्षा–सी)

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अगस्त, 2012

संख्याः ईडीएन–सी–ए (3)–1/2002.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–क के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अथार्त्:––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**——(1) अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.–सी–ए(3)–3 / 96 तारीख 22 अगस्त, 2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (प्रार0 शिक्षा)।

उपाबन्ध–'क'

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**——जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक (जे0बी0टी0)

2. **पदों की संख्या.**——21696 (इक्कीस हजार छः सौ छयानवे)

3. **वर्गीकरण.**——वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान.**——(i) *नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :*
पे बैंड 5910–20200रू0 + 3000 / – रुपए ग्रेड पे।
(ii) *संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धिया :*
8910 / – रुपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्या 15–क में दिये गये ब्यौरे के अनुसार)।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**——अचयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नही होगी;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा

नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.––(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद/पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) अनिवार्य अर्हताएं :––**1. न्यूनतम अर्हताएं** :––(1) कक्षा I से V

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से पचास प्रतिशत अंकों सहित 10+2 और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किसी संस्थान से द्विवर्षीय जे0बी0टी0 कोर्स।

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

या

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)।

और

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा कक्षा I से V के लिए आयोजित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा (टैट) में उतीर्ण।

2. **वांछनीय अर्हता** : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

टिप्पण.––उन अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक अपंग वर्ग से सम्बन्ध रखते हो को अर्हक अंकों में 05 प्रतिशत अंकों की छूट।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.**––आयु : लागू नही।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.**––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथा स्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.**––लागू नहीं।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.**––लागू नहीं।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––सीधी भर्ती के मामले मे जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए चयन (नियमित या संविदा के आधार पर) सम्बन्धित जिला के उप निदेशक द्वारा उन अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा (कक्षा I से V) पास की हो, में से निम्नलिखित रीति में किया जायेगा :––

1. संबद्ध उप निदेशक द्वारा जिलें में भरे जाने वाले वर्गवार पदों की संख्या, जिले के अन्दर सम्बन्धित रोजगार कार्यालय और स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचित की जाएगी।

2. अभ्यर्थी द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संबद्ध उप निदेशक द्वारा वर्गवार योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

3. अभ्यर्थी जिन्होने विज्ञापन के आधार पर तथा जिनका नाम जिला के भीतर रोजगार कार्यालय द्वारा भेजा गया हो, उन्हे उप निदेशक द्वारा जिला कार्यालय में काउंसलिंग के लिए बुलाया जायेगा जहां पर उनके मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

4. उप निदेशक अभ्यर्थियों की वर्गवार योग्यता सूची अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर तैयार करेगा यदि अभ्यर्थियों के अध्यापक पात्रता परीक्षा में समान अंक हों, तो उनकी पारस्परिक योग्यता अध्यापक पात्रता परीक्षा और जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक अन्तिम वर्ष के संयुक्त अंकों के आधार पर विनिश्चित की जाएगी । यदि फिर भी अभ्यर्थियों के अंकों में समानता हो, तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को योग्यता में कनिष्ठ से ऊपर रखा जाएगा।

5. अभ्यर्थियों की प्रथम तैनाती जिले के कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में की जाएगी जहां पर उन्हें कम से कम पांच वर्ष तक सेवा देनी होगी ।

इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो चयन सरकार के पूर्व अनुमोदन द्वारा छंटनी परीक्षा के अनुसरण में साक्षातकार द्वारा भी किया जाएगा।

15–क **संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः––

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे हैं और केवल तभी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तातरित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.––उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए भर्ती हेतु प्रक्रिया आरम्भ करेगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक को 8910/– रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम + ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267/– रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यून्तम + ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन उपरोक्त स्तंभ संख्या 15 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी संबंधित भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर/किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त वयक्ति को 8910/– रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 267/– रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यून्तम + ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिक्त्सिा व्यवसायी से अपना अरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा मे यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस आर0 छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आादि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

––––––––––

उपाबन्ध–ख

जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती....................................पुत्र /पुत्री श्री................................निवासी................................ ....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, जिला के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...........................को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक (स्कूल संवर्ग) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः––

1. यह कि प्रथम पक्षकार जूनियर बेसिक प्राशिक्षित अध्यापक के रूप में ....से प्रारम्भ होने और...........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि की विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8910/– रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश की हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापक कर्तव्यों (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों)को कर्मचारी सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ.पी. एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

————————

[*Authoritative EnglishText of this Department Notification No. EDN-C-A*(3)1/2002 *dated* 23-8-2012 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT
(Education-C)

NOTIFICATION

Shimla-171002, 23rd *August*, 2012

No. EDN-C-A(3)1/2002.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Junior Basic Trained Teacher, Class-III, (Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification; namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Elementary Education Department, Junior Basic Trained Teacher, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Primary Education department, Junior Basic Trained Teacher, Class-III (Non-Gazetted) Recuriutment and Promotion Rules notified *vide* Notification No EDN-C-A(3)-3/96 dated 22-8-2000.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (I) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (Ele. Education).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR BASIC TRAINED TEACHER IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post**.—Junior Basic Trained Teacher (JBT)

2. **Number of posts.**—21696 (Twently one thousand six hundred & ninty six)

3. **Classification.**—Class-III (Non- Gazetted)

4. **Pay Scale.**—(i) *Pay Scale for regular incumbents:*
Rs. 5910-20200/- + Rs. 3000/- Grade Pay.

(ii) *Emoluments for Contract Employees:*
Rs. 8910/- per month as per details given in Col. No. 5-A.

5. **Whether selection post or non-selection.**—Not applicable

6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 Years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector, Corporation and Autonomous bodies who were Government Servants before absorption in Public Sector/Corporation/ Autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector/Corporation/ Autonomous Bodies.

Note.—1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications are notified to the Employment Exchange or as the case may be.

2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission/HPSSSB in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment (A) ***Essential Qualifications*****:** ***Minimum Qualification :*****—(i) Class 1 to V.**—(a) 10+2 with 50% marks from a recognized Board/University and 2- year JBT course from an institute affiliated to H.P.Board of School Education.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50 % marks and 2 year Diploma in Elementary education (by whatever name known).

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 year Diploma in Education (Special Education).

OR

Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

AND

(b) Pass in the Teahcer Eligibility Test (TET) for Class I–V, to be conducted by an authority designated by the H.P. State Government.

(c) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

"NOTE.—Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to SC/ST/OBC and PH categories."

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees.—*Age*: Not Applicable.

Educational Qualification: Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—Not Applicable.

12. If a departmental promotion committee exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment/contract appointment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection of candidates for appointment to JBT post in the case of direct recruitment (regular or contract basis), will be made by the Deputy Director f the concerned District out of TET (Class I to V) pass candidates in the following manner:—

1. Category-wise number of posts to be filled up in the District will be notified by the Deputy Director concerned to the Employment Exchanges with in the district and local newspapers.

2. A category-wise merit would be drawn by the Deputy Director concerned on the basis of marks obtained by the candidates in the TET.

3. The candidates who apply in esponse to the advertisement and those who are sponsored by the Employment Exchanges with in the district will be called for counseling by the Deputy Director at District office; where in original certificates/documents would be checked.

4. The Deputy Director will draw a category-wise merit of the candidates based on TET scores. In case the candidates have same TET score then their interse merit would be decided on the basis of combined score of TET and JBT final year score. Still there being a tie the candidate senior in age would be placed above the junior, in the merit.

5. The 1st posting to the candidates shall be offered in remote and difficult areas of the district, where they shall have to serve for minimum of 5 years.

Further, if considered necessary or expedient selection may also be made by a screening test followed by interview with the prior approval of the Govt.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—***Notwithstanding, anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—***

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Junior Basic Trained Teacher, in the Department of Elementary Education H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB.—The Deputy Director, Elementary Education after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will initiate the process for recruitment and will fill-up the vacant posts on contract basis as per the procedure approved by the State Government.

(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Basic Trained Teacher appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade Pay). An amount of Rs. 267/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARYAUTHORITY.—The____ The Deputy Director, Elementary Education of concerned District will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made as er the process mentioned in Column No.15 above.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8910/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 267/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The services of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical re-imbursement and L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of Contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the services shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relaz any of provisions of these rules with respect of any class or category or person or posts.

____

ANNEXURE-B

From of contract/agreement to be executed between the Junior Basic Trained Teacher (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education of concerned District (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this _______________ day of____________ in the year____________ between Sh./Smt.______________________________S/o Shri_________________R/o____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Deputy Director of Elementary Education_________(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Basic Trained Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Basic Trained Teacher (Name of the post) for a period of one year commencing on day of ________________and ending on the day of__________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on_________________And information notice shall not be necessary.

   Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8910/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Junior Basic Trained Teacher (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Junior Basic Trained Teacher (Name of the post). He will not be entitled for Medical re-imbursement and L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Basic Trained Teacher (Name of the post) will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will be permitted after completion of 5 years tenure at one place of posting on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of Woman candidate pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ____________________________
____
____
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ____________________________
____
____
(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ____________________________
____
____
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ____________________________
____
____
(Name and full Address)

——————

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 24th August, 2012

No. PCH-HA (3)20/95-III.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that elected representatives of the Panchayati Raj Institutions in Himachal Pradesh shall be paid revised rates of Daily and Traveling as per the detail given under:—

Sr. No.	**Category of the Office bearers of Panchayats**	**Rates of Daily and Traveling Allownace**
1.	Chairpersons and Vice Chairperson of Zila Parishad.	Actual Bus/Rail Fare and Daily Allowance @ 160/- per day.
2.	Member of Zila Parishads and Chairpersons and Vice Chairpersons of Panchayat Samitis	Actual Bus/Rail Fare and Daily Allowance @ 120/- per day.
3.	Members of Panchayat Samiti and Pradhan and Up-Pradhan of Gram Panchayats	Actual Bus/Rail Faire and Daily Allowance @ 100/- per day.
4.	Members of Gram Panchayats	Actual Bus/Rail Fare and Daily Allowance @ 60/- per day.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Panchayati Raj).

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अगस्त, 2012

संख्या एल0एस0जी0–ए0 (1) 41/84.——इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 13–6–2012 से संलग्न अनुसूची ''क'' में विनिर्दिष्ट कतिपय स्थानीय क्षेत्रों को नगर परिषद् बददी में सम्मिलित करने हेतु एक प्रस्ताव उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर उपायुक्त सोलन के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए तारीख 14–6–2012 को ई–राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और विर्निदिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षपे प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची ''क'' में यथा विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को, नगर परिषद् बददी में सम्मिलित करती हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ता0/–
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

——————

[Authoritative English text of the Government Notification No LSGA(1)41/84 dated 23rd August, 2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd August, 2012

No. LSG-A(1)41/84.—Whereas a proposal for inclusion of certain local areas in Municipal Council Baddi, specified in Schedule 'A' attached to this Department notification of even number dated 13-6-2012 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (ordinary), dated 14-6-2012 for inviting objections of the affected persons through Deputy Commissioner, Solan within six weeks from the date of publication of the said notification;

And whereas, no objections have been received within the specified period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to include the local areas, as specified in Schedule 'A', in the Municipal Council Baddi.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (UD).

SCHEDULE-'A'

Inclusion of new areas in the limit of Municipal Council, Baddi

Sr. No.	Khatta/Khatoni No.	Kh.No.	Area in Bigha	Name of Place
1.	53/53	845	01-09	Kalyanpur, Hadbast No. 201
2.		846	02-01	
3.		934/847	01-08	
4.		943/855/1	03-02	
5.		856	01-02	
6.		857	03-14	
7.		858	12-09	
8.		859	02-00	
9.		860	05-13	
10.		945/861	03-07	
11.		946/862	00-15	
12.	270/282	9	1-3	Billanwala Gugran -198
13.		772/10	0-14	
14.		11	4-9	
15.		512/12	3-3	
16.		513 to17	16-02	
17.		773/18	6-8	
18.		19	0-6	
19.		21	1-13	
20.		22	3-19	
21 22.		777/23 780/24	5-18 1-1	
23.		783/25	2-3	
24		497/26	3-5	
25		27	0-10	
26		499/28	0-5	

27		29 to 31	13-13	
28		34	2-9	
29	**115/129**	271 to 276	11.16	Chakk- No.196
30		393/277 to 395/277	2.10	
31		278	1-14	
32		279	3-18	
33		299 to 300	3-03	
34		403/301/1	0-18	
35		404/301/1	0-18	
36		405/302	1-4	
37		406/302	2-6	
38		407/321	0-17	
39		303 to 310	15-1	
40		312/320	22-15	
41		409/325	0-18	
42		326 to 335	6-02	
43		362/336 to 364/336	9-02	
44		337	0-2	
45	**44/65**	255 to 256	7-13	Haripur Sandholi Hadbast No.206
46		257/2 to 258/2	4-13	
47		264 to 266	6-14	
		Total	**203-05**	

अनुसूची ''क''

नगर परिषद् बद्दी की सीमा में नए सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र

कमांक	खाता/खतौनी संख्या	खसरा नम्बर.	क्षेत्र (विघा) में	स्थान का नाम	
1.	53/53	845	01-09	कल्याणपुर हदबस्त नम्बर 201	
2.		846	02-01		
3.		934/847	01-08		
4.		943/855/1	03-02		
5.		856	01-02		
6.		857	03-14		
7.		858	12-09		
8.		859	02-00		
9.		860	05-13		
10.		945/861	03-07		
11.		946/862	00-15		
12.	270/282	9	1-3	बिल्लांवाल गुजरां —198	
13.		772/10	0-14		
14.		11	4-9		
15.		512/12	3-3		
16.		513 से 17	16-02		
17.		773/18	6-8		
18.		19	0-6		
19.		21	1-13		
20.		22	3-19		
21		777/23	5-18		
22.		780/24	1-1		
23.		783/25	2-3		
24		497/26	3-5		
25		27	0-10		

26		499/28	0-5		
27		29 to 31	13-13		
28		34	2-9		
29	**115/129**	271 से 276	11.16	चक्क नम्बर.196	
30		393/277 से 395/277	2.10		
31		278	1-14		
32		279	3-18		
33		299 से 300	3-03		
34		403/301/1	0-18		
35		404/301/1	0-18		
36		405/302	1-4		
37		406/302	2-6		
38		407/321	0-17		
39		303 से 310	15-1		
40		312/320	22-15		
41		409/325	0-18		
42		326 से 335	6-02		
43		362/336 से 364/336	9-02		
44		337	0-2		
45	**44/65**	255 से 256	7-13	हरिपुर संधोली हदबस्त नम्बर. 206	
46		257/2 से 258/2	4-13		
47		264 से 266	6-14		
		कुल	**203-05**		

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला, 8 अगस्त, 2012

संख्याः इण्ड–ए (ए) 3–5/99–II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में भू–विज्ञानी, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग भू–विज्ञानी, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(2) ये नियम ई–राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड–ए(ए)3–5/99, तारीख 23–3–2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग भू–विज्ञानी (वर्ग–I राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
डा0 पी0 सी0 कपूर,
प्रधान सचिव (उद्योग)।

————————

उपाबन्ध–''क''

उद्योग विभाग में भू–विज्ञानी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**–भू–विज्ञानी।

2. **पदों की संख्या.**–6 (छह)।

3. **वर्गीकरण.**–वर्ग–I (राजपत्रित)।

4. **वेतनमान.**– i) *नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :*
पे बैन्डः 15600–39100 रुपए + 6600/– रुपए ग्रेड पे
ii) *संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :*
22200/– रुपए स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5. **''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.**–चयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**–45 वर्ष या उस से कम।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप मे नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे /किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–(क) **अनिवार्य अर्हता (अर्हताएं)** : (i) केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भू–विज्ञान या अप्लाईड भू–विज्ञान में स्नात्कोतर उपाधि (डिग्री) या इसके समकक्ष अथवा इडियन स्कूल आफ माईन्स, धनबाद से अप्लाईड ज्योलॉजी में डिप्लोमा।

(ii) भू–विज्ञानिक मानचित्रण और आर्थिक, सामरिक और स्वतन्त्र दूर्लभ खनिजों के पूर्वेक्षण का लगभग सात वर्ष का क्षेत्र अनुभव।

(ख) **वांछनीय अर्हता (अर्हताएं)** : i) खनिजों और खनिजों के उपयोग के पूर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

ii) खनिज उद्योग के विकास और कार्य का अनुभव।

iii) हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

iv) प्रशासन में अनुभव और कार्यकारी कार्यक्रमों को स्वतन्त्र रूप से करने की योग्यता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.–आयु : लागू नहीं। **शैक्षिक अर्हता** : लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.**––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर यह संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.**––सहायक भू–विज्ञानियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित कर के पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेष लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवष्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः––

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग में भू–विज्ञानी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण / नवीकरण हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत / विस्तारित किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.––सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त भू–विज्ञानी को 22,200 / – रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 670 / – रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.––सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि सबद्ध भर्ती प्राधिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 22,200/– रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 670/– रुपए (पद के पे बैन्ड का न्यूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सम्बद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवष्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दषा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ. आर0–एस. आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय–समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

"उपाबन्ध–ख"

उद्योग विभाग में भू–विज्ञानी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती ....पुत्र / पुत्री श्री..निवासी ....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के मध्य आज तारीख....................................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ....के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः––

1. यह कि प्रथम पक्षकार .... के रूप में ....से प्रारम्भ होने और.............को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् .... दिन को स्वयंमेय ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण / नवीकरण हेतु विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि को नवीकृत / विस्तारित किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 22,200 / – रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (............................) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त...................को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था

प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी, नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind.A(A)3-5/99-II, Dated 08-08-2012 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 8th August, 2012

No. Ind.A(A)3-5/99-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of

Geologist, Class-I (Gazetted), in the Himachal Pradesh Industries Department as per "Annexure-A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Industries Department, Geologist, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Industries Department Geologist (Class-I, Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2001, notified *vide* this department Notification No. Ind-A(A)3-5/99 dated 23-3-2001 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validity made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
DR. P.C. KAPOOR,
Principal Secretary (Industries).

"ANNEXURE-A"

Recruitment and promotion rules for the post of Geologist, Class-I (Gazetted) in the Industries Department, Himachal Pradesh

1. **Name of Post.**—Geologist

2. **Number of Post(s).**—6 (Six)

3. **Classification.**—Class-I (Gazetted)

4. **Scale of Pay.**—(I) *Pay scale for regular incumbents:*
Pay Band 15600-39100+6600 Grade Pay
(II) *Emoluments for Contract Employees:*
Rs. 22,200/- as per details given in Col. 15-A.

5. **Whether** "Selection" post or "Non- Selection" post.—Selection

6. **Age for direct recruitment.**—45 years' and below

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S) : (i) M.Sc. Degree in Geology or applied Geology or its equivalent from a recognised University or an Institution duly recognized by the H.P./Central Government or Diploma in Applied Geology from Indian School of Mines, Dhanbad.

(ii) 7 years field experience in independent Geological mapping & mineral prospecting of economic stretegic and rare minerals.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S): (i) Training in different aspects of prospecting for minerals & utilization of minerals.

(ii) Knowledge of developing & working mineral industry.

(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

(iv) Experience in Administration & capacity to draw executive programmes independently.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not Applicable.

Education Qualification : Not Applicable

9. Period of Probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Geologist with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotions, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three year's or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceedting proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happended to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of senijority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test

if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard, syllabus, etc., of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(**I**) **CONCEPT.**—(a) Under this policy the Geologist in Industries the Department, HP will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.**—The Secretary (Inds) to the Govt. of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules ;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENT.—The Gologist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 22,200/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +Grade Pay). An amount of Rs. 670/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Inds) to the Govt. of H.P. will be the appointing & disciplinary authority.

(**IV**) **SELECTION PROCESS.**—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per "Annexure-B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 22,200/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 670/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules 1997 as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

"ANNEXURE-B"

Form of contract/agreement to be executed between the Geologist in the Industries Department and the Government of Himachal Pradesh through Secretary (Inds) to the Govt. of HP)

This agreement is made on this………………………………….day of ………………in the year…………………. Between Sh./Smt ………………………………………S/o/D/o Sh………………………… R/o of………………………………………………………………………………………… …………….. Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor,

Himachal Pradesh through, Director of Industries, H.P. (here-inafter the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Geologist, Class-I (Gazetted) on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Geologist, Class-I (Gazetted) for a period of 1 year commencing on day of ____________ and ending on the day of ______________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on ___________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 22,200/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual ---------------------------will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual -------------. He/she will not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Un-authorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual………………………will not be entitled for Contractual Amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative gorunds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Officer/Practitioner. In case of Women candidates, pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officers at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………………......

…………………………………...

…………………………………...

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ………………………………….....

…………………………………

…………………………………

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. …………………………………....

…………………………………

…………………………………

(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. …………………………………....

…………………………………....

…………………………………....

(Name and full Address)

MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st August, 2012

No. HFW-B (A) 8-1/2003 (I/N).—In continuation of this department notification No. HFW-B (A) 12-9/79 dated 20.1.1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend following changes for providing medical facilties to the Himachal Pradesh Government employees and pensioners and their dependents :—

"The condition imposed *vide* letter No. HFW-B (A) 12-9/79 dated 20-1-94 regarding obtaining permission of Director of Health Services, HP for taking treatment outside the State and countersigning the bills by the Authorised Medical Attendant of the area if treatment is taken in case implantation of Lens for Cataract is hereby deleted and in future such cases will be examined as per provisions contained in the new Health Policy issued on 21-6-2008".

By order,
Sd/-
Secretary (Health).

MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th August, 2012

No. HFW-B (A) 8-1/2003 (I/N).—In continuation of this department notification No. HFW-B (F) 1-1/2008 dated 21.6.2008, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to insert the following provisio to para 9.6 of the said notification :—

9.6-A. Provided that for treatment taken in empanelled CGHS institutions in the NCR (National Capital Region), the reimbursement shall be restricted to CGHS rates.

By order,
Sd/-
Secretary (Health).

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्ती बारे।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 30 मार्च, 1959 है जोकि सही व दरुस्त है तथा स्कूल रिकॉर्ड तथा नौकरी से सम्बन्धित रिकॉर्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 28–11–1958 दर्ज है, जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि ग्राम सचिव पंचायत पानवी को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के रिकॉर्ड में दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11–9–2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार की जन्म तिथि 28–11–1958 की जगह 30–3–1959 दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत पानवी को जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 28–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत नाम व जन्म तिथि दरुस्त करने बारे।

श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम बीना देवी व जन्म तिथि 5–12–1964 है जोकि सही है तथा नौकरी से सम्बन्धित दस्तावेजों में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में उसका नाम पीनू देवी तथा जन्म तिथि केवल 1960 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत पानवी को उनका नाम तथा जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका का नाम तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के रिकॉर्ड में दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11–9–2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदिका का नाम पीनू देवी की जगह बीना देवी तथा जन्म तिथि 1960 की जगह 6–12–1964 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 28–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मथुरा देवी विधवा स्व0 श्री राम चन्द्र उर्फ राम सिंह, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती मथुरा देवी विधवा स्व0 श्री राम चन्द्र उर्फ राम सिंह, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन कर गुजारिश की है कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख में राम चन्द्र है तथा पंचायत अभिलेख में राम सिंह दर्ज हुआ है। वास्तव में राम चन्द्र व राम सिंह एक ही व्यक्ति का नाम है जो उनके पति हैं। श्री राम चन्द्र उर्फ राम सिंह की मृत्यु दिनांक 20–11–2009 को

हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार में समय के अन्दर नहीं करवा सकी। अतः अनुरोध किया है कि उनके पति की मृत्यु का पंजीकरण श्री राम चन्द्र उर्फ राम सिंह के नाम से ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत निचार को दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदिका के पति स्व0 श्री राम चन्द्र उर्फ राम सिंह की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार के रिकॉर्ड में करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11–9–2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर या एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो स्व0 श्री राम चन्द उर्फ राम सिंह, निवासी गांव निगानी की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 28–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम चन्द्र पुत्र श्री राई दास, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्ती बारे।

श्री राम चन्द्र पुत्र श्री राई दास, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 30–12–1952 है जोकि सही व दरुस्त है तथा नौकरी से सम्बन्धित रिकॉर्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि केवल 1942 ही दर्ज है, जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत बरी को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के रिकॉर्ड में दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11–9–2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री राम चन्द्र पुत्र श्री राई दास, निवासी गांव व डाकघर बरी, तहसील निचार की जन्म तिथि 1942 की जगह 30–12–1952 दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत बरी को जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 28–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हिरा सिंह पुत्र श्री धर्म राम नेगी, निवासी गांव पूजे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार बाबत जन्म तिथि दरुस्ती बारे।

श्री हिरा सिंह पुत्र श्री धर्म राम नेगी, निवासी गांव पूजे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 14–8–1963 है जोकि सही व दरुस्त है जोकि स्कूल रिकॉर्ड में भी विद्यमान है लेकिन ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 3–1–1960 दर्ज है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत निचार को उनकी जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के रिकॉर्ड में दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11–9–2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करे। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री हिरा सिंह पुत्र श्री धर्म राम नेगी, निवासी गांव पूजे, तहसील निचार की जन्म तिथि 3–1–1960 की जगह 14–8–1963 दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत निचार को जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 28–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव चन्द्र, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत पत्नी का नाम कटवाने बारे।

उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्र देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार के परिवार रजिस्टर से खारिज करने बारे श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव चन्द्र, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी श्रीमती चन्द्र देवी पुत्री श्री सिद्धू राम, निवासी गांव शिगारचा, तहसील निचार, जिला किन्नौर के साथ सन् 1999 को हुई थी लेकिन

उनके आपसी सम्बन्ध ठीक न होने के कारण दिनांक 5–4–2012 को उनका आपस में तलाक हो गया। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत निचार को उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्र देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार के पंचायत परिवार रजिस्टर से खारिज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती चन्द्र देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार में आवेदक के परिवार रजिस्टर से खारिज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11–9–2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती चन्द्र देवी का नाम ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव चन्द्र के परिवार रजिस्टर से खारिज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत निचार को दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री शेर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव डैट सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत बहू का नाम कटवाने बारे।

उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी बहू श्रीमती भाग देवी का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के परिवार रजिस्टर से खारिज करने बारे श्री शेर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव डैट सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनका बेटा जगजीवन सिंह दिनांक 13–3–2009 को स्वर्ग सिधार गया है तथा उनकी बहू श्रीमती भाग देवी ने 25–1–2011 को घर छोड़ कर किसी अन्य के साथ शादी कर ली है तथा उसके बाद कभी भी घर पर बच्चों को देखने नहीं आई। अब क्योंकि श्रीमती भाग देवी ने दूसरी शादी कर ली है तथा कभी भी आवेदक के घर में नहीं आई है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत सूंगरा को उनकी बहू श्रीमती भाग देवी का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के पंचायत परिवार रजिस्टर से खारिज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की बहू श्रीमती भाग देवी का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा में आवेदक के परिवार रजिस्टर से खारिज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11–9–2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा आवेदक की बहू श्रीमती भाग देवी का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख में श्री शेर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह के परिवार रजिस्टर से खारिज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत सूंगरा को दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री विजय कुमार पुत्र श्री बाजी राम, निवासी गांव कण्डार, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत पत्नी का नाम दर्ज करने बारे।

उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती देव रूपा का नाम ग्राम पंचायत नातपा के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे श्री विजय कुमार पुत्र श्री बाजी राम, निवासी गांव कण्डार, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजारिश की है कि उनकी शादी श्रीमती देव रूपा पुत्री श्री यंझूर झाछो, निवासी मूरंग घराट, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर के साथ दिनांक 13–4–2012 को हुई थी लेकिन दम्पति के गैर–इलाका रहने के कारण पत्नी का नाम ग्राम पंचायत नातपा के पंचायत परिवार रजिस्टर में आज तक दर्ज नहीं करवा सका है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव, ग्राम पंचायत नातपा को उनकी पत्नी श्रीमती देव रूपा का नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती देव रूपा का नाम ग्राम पंचायत नातपा में आवेदक के परिवार रजिस्टर में बतौर पत्नी श्री विजय कुमार पुत्र श्री बाजी राम दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 11–9–2012 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती देव रूपा का नाम ग्राम पंचायत नातपा के अभिलेख में बतौर पत्नी श्री विजय कुमार पुत्र श्री बाजी राम दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत नातपा को दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राज पाल पुत्र श्री हरी देव, निवासी गांव रिब्बा, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।

श्री राज पाल पुत्र श्री हरी देव, निवासी गांव रिब्बा, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजार कर अनुरोध किया है कि उनका नाम पंचायत अभिलेख में गलती से राजेपाल दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण–पत्र एवं फोटो पहचान–पत्र में राज पाल दर्ज है, जो सही एवं दरुस्त है। जिसकी पंचायत अभिलेख में दरुस्ती कर राज पाल किया जावे।

अतः बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्त करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5–9–2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करे। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0),
पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री देवेन्द्र सिंह रघु पुत्र श्री सोनम कलजंग, निवासी गांव मूरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.––दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।

श्री देवेन्द्र सिंह रघु पुत्र श्री सोनम कलजंग, निवासी गांव मूरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजार कर अनुरोध किया है कि उनकी भतीजी का नाम पंचायत अभिलेख में गलती से शंकर भक्ति दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण–पत्र में शशी बाला दर्ज है, जो सही एवं दरुस्त है। जिसकी पंचायत अभिलेख में दरुस्ती कर शशी बाला किया जावे।

अतः बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्त करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5–9–2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करे। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–7–2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

संजय शर्मा,
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0),
पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रोशन लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती छोडन पुत्री श्री साम्बा, निवासी ग्राम सूंगरा

बनाम

आम जनता

विषय.–इन्तकाल विरासत बरुए वसीयत।

उपरोक्त उनवान प्रकरण में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि उप–मुहाल चुलिम, उप–तहसील हंगरंग, जिला किन्नौर में अराजी खाता / खतौनी नं0 89 / 186, रकबा तादादी 0–37–61 है0 में देवी राम पुत्र तवज्ञा वाहिद मालिक है जिसके बारे उपरोक्त मालिक मृतक ने एक अपंजीकृत वसीयत दिनांक

16—7—2009 को बहक श्रीमती छोडन तहरीर किया है। जिसके अनुसार इन्तकाल नं0 117, दिनांक 25—5—2012 को दर्ज किया जाकर फैसला दिनांक 30—8—2012 को निश्चित किया गया है।

अतः हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इन्तकाल तस्दीक करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज लिखित रूप में असालतन या वकालतन दिनांक 30—8—2012 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय में पेश करे। उजर व एतराज पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

रोशन लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————————

Before the Sub-Divisional Magistrate, Kalpa Sub-Division at Reckong-Peo, District Kinnaur (H. P.)

In the matter of :

Shri Durga Parsad s/o Shri Madan Singh, r/o Village and P.O. Sangla, Tehsil Sangla, District Kinnaur (H. P.) . . *Applicant.*

Application for registration of marriage under the H. P. Registration of Marriages Act, 1996.

Notice to general public.

The above named applicant has preferred an application supported by an affidavit stating therein that he got married to Smt. Suchita Rani d/o Late Shri Bargat Ali, r/o Village Sangla, Tehsil Sangla, District Kinnaur (H. P.) on 28-9-2010 as per prevalent customs, but name of his wife has not been entered in the records of Gram Panchayat Sangla so far and has further requested to issue an order to the Gram Panchayat Sangla for entry of the same.

Therefore, general public is hereby issued a notice through this publication that if anybody has any objection for the entry of name of Smt. Suchita Rani as wife of Shri Durga Parsad s/o Shri Madan Singh, r/o Village Sangla, Tehsil Sangla, District Kinnaur in the records of the Gram Panchayat Sangla, he/she may present written/oral objection before the undersigned on or before 4-9-2012 failing which it will be presumed that nobody has any objection and necessary orders will be issued to the concerned Gram Panchayat for entry of the marriage.

Issued under my hand and seal of the Court today the 4th day of August, 2012.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Kalpa Sub-Division at Reckong-Peo,
District Kinnaur (H. P.).

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 अगस्त, 2012

संख्याः एच.एफ.डब्लयु.–बी (ए) 2–10/2008.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयागे के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.जी.एम.सी, शिमला के रेडियोथैरेपी की विशेषज्ञता में मेडिकल फिजिसिस्ट, वर्ग–1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग मेडिकल फिजिसिस्ट, वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
सचिव (स्वास्थ्य)।

————————

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में रेडियोथैरेपी की विशेषज्ञता में मेडिकल फिजिसिस्ट, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**——मेडिकल फिजिसिस्ट।

2. **पदों की संख्या.**——2 (दो)।

3. **वर्गीकरण.**——वर्ग–I (राजपत्रित)।

4. **वेतनमान.**——(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान/पे बैण्ड–3 10300–34800 रूपए + 5400 रूपए ग्रेड पे ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15,700/– रूपए ।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**——चयन ।

6. **सीधी भर्ती के के लिए आयु.**——45 वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए है/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) **अनिवार्य अर्हताएं :** (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय सहित, विज्ञान में स्नातक की उपाधि या विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; और

(ii) एटॉमिक एनर्जी बोर्ड़, मुम्बई (ए.ई.आर.बी.), भावा एटॉमिक रिसर्च सैंटर, मुम्बई (बी.ए.आर.सी.), मुम्बई से मान्यता प्राप्त और अनुमोदित रेडियोलोजिकल भैतिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समकक्ष।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल भौतिकी या रेडियेशन भौतिकी मे स्नातकोत्तर उपाधि और जो एटॉमिक एनर्जी बोर्ड़, (ए.ई.आर.बी.), भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो ।

(ख) वांछनीय अर्हता : हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं । **शैक्षिक अर्हता :** हां जैसा उपरोक्त स्तम्भ संख्या–7 में विहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—(क) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.**—उपर्युक्त स्तम्भ संख्या 7 के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता को रखने के अध्यधीन भौतिकी टैक्नीशियन में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके, दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु मेडिकल फिजिसिस्ट के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दो बिन्दु "पद" आधरित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :—

पहला पद— भौतिकी टैकनीशियन के लिए ।
दूसरा पद — सीधी भर्ती द्वारा ।

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
प्रथम	प्रोन्नत व्यक्ति
द्वितीय	सीधी भर्ती

रोस्टर प्रत्येक दूसरे बिन्दु के पश्चात्, तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक दो प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्त्व प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और तत्पश्चात् रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी, जिससे पद रिक्त होता है :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम एक कार्यकाल तक जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पदों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता के आधार पर सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों पर ऊपर लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—I.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यर्ककाल" से, साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों मे तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण—II.— उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एंव स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा—क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।

8. जिला सिरमौर में उप तहसील कमरऊ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलौना तथा सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत ।

9. जिला मण्डी में करसोग तहसील का खन्योल–बगडा पटवार वृत, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी सोमगाड़ और खोला नाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सभ्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति अनुसरण में हा) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर समझे जाएंगे/रखे जाएंगे।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोब्लिाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स– सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सभ्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना.**––विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी ।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. **सीधी भर्ती/संविदा नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः––

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन रेडियोथैरेपी विभाग, क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में मेडिकल फिजिसिस्ट को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा;

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाए गए हैं, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.**––प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त मेडिकल फिजिसिस्ट को 15,700/– रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 480/ रुपऐ की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण, अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 15,700/– रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाऐ गए वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक रकम में 480/– रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त अधिकारी जिसने, तैनाती के एक स्थान पर पांच साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर–एस.आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों वेतन आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी (किन्हीं) (उपबन्ध) उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–"ख"

मेडिकल फिजिसिस्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ——————————————पुत्र/पुत्री ——————————निवासी———————, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्, "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य———————————————————— (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम)———————————— (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ———————————— को किया गया ।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया गया है और प्रथम पक्षकार ने ———————————— (पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :——

1. यह कि प्रथम पक्षकार ———————— (पद का नाम)————————— के रूप में ———————— से प्रारम्भ होने और ——————को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को, अर्थात् —————————दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15,700/– रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त —————————(पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त ————————————————(पद का नाम) को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त ———————— (पद का नाम) कर्त्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी/कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ——————————
——————————
——————————
(नाम व पूरा पता)

2. ——————————
——————————
——————————
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ——————————
——————————
——————————
(नाम व पूरा पता)

2. ——————————
——————————
——————————
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this department notification no. HFW-B*(A)2-10/2008 *dated* 23-8-2012 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23*rd August*, 2012

No. HFW-B(A)2-10/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Medical Physicist, Class I (Gazetted), in the Specialty of Radiotheraphy, IGMC,Shimla, Department of Medical Medical Education and Research, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh: Department of Medical Education and Research, Medical Physicist, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Secretary (Health).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MEDICAL PHYSICIST GAZETTED CLASS-I IN THE SPECIALITY OF RADIOTHERAPY, DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION & RESEARCH, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.**—Medical Physicist

2. **No. of posts.**—2 (Two)

3. **Classification.**—Class-I (Gazetted)

4. **Scale of pay:.**—(i) *Pay scale for regular incumbents :*
Pay Band – 3. 10300-34800 + 5400 Grade Pay.
(ii) *Emoluments for Contract employees:*
15,700/- as per details given in Col. No.15-A.

5. **Whether selection post or Non-selection.**—Selection

6. **Age for direct recruitment.**—45 years and below

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled castes/scheduled tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by

such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies:

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION: (i) A Bachelor’s Degree in Science with Physics as one of the subject or Master's Degree in Science from a recognised University: and

(ii) A post graduate diploma in Radiological Physics or its equivalent duly recognised & approved by Atomic Energy Regulatory Board, Mumbai (AERB), Bhaba Atomic Research Centre, Mumbai (BARC).

OR

Master Degree in Medical Physics or Radiation Physics from a recognised University and approved by Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Govt. of India.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—Knowledge, customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualifications prescribed for direct Recruits will apply in the case of Promotees.—*Age:* Not applicable.

Educational Qualification: Yes, as prescribed in Col. No. 7 above.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of Post(s) to be filled in by various methods.—(a) 50 % by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

(b) 50 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Physics Technician subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7 above with ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade:

Provided that for filling up the posts of Medical Physicist the following 02 points **“ post”** based roster shall be followed:—

1st post to Physics Technician.
2nd post by direct recruitment.

Roster Point No.	Category
1st	Promotee
2nd	Direct Recruitment

Note.—The roster will be repeated after every 02nd post till the representation to both categories is achieved by the given percentage and thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the posts).

1. Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I *supra* the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.**—**For the purpose of proviso I *supra* the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani,Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(I) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules,

Provided, that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad-hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules;

Provided that *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account, ad-hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If the departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—DPC to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for Direct recruitment/Contract appointment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *Viva-Voce* test, if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

15(A) (Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Medical Physicist in Department of Radio-Therapy, Regional Cancer Hospital, Indira Ghandhi Medical College, Shimla, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year- to- year basis;

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC.—The Principal Secretary (Health) to the Govt. of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in the Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Medical Physicist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 15,700/- P.M. (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). An amount of 480/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Health)/Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹15,700/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount 480/- (3% of the minimum of the pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and L.T.C. etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An officer appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commision, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Medical Physicist and the Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary (Health) to the Govt. of Himachal Pradesh

This agreement is made on this________ day of ______________ in the year ____________between Sh./Smt.____ S/o/D/o Shri________________________R/o______________________________________ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the ____________________________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a__________________ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ___________ (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of______________and ending on the day of ________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on ----------------- and information, notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period of HOD shall issue a cerfiticate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be 15,700 /- per month.

3. The services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/contract of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual___________ (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual__________(Name of the post). He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual_________ (Name of the post) will not be entitled for salary for the period of absence from duty.

6. An officer appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer/ official.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ___________________

____

____

(Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY)

2. ______________________

____

____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ______________________

____

____

(Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

2. ______________________

____

____

(Name and Full Address)

Witnesses

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित